BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त महीपाल उर्फ मोटा पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम घुसराना गैल थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष - 2014 में वादी श्री शैलेन्द्र के भाई धर्मपाल के साथ ईट रोडो से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी तथा जिसकी उपचार हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.08.2014 को थाना डिबाई पर मुअसं- 385/14 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.09.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 03 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.04.2025 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त महीपाल उर्फ मोटा को 07 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर